



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012021-224278
CG-DL-W-08012021-224278

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, दिसम्बर 27, 2020—जनवरी 2, 2021, शनिवार / पौष 6 — पौष 12, 1942
No. 42] NEW DELHI, DECEMBER 27, 2020 - JANUARY 2, 2021, SATURDAY/PAUSHA 6 - PAUSHA 12, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (तैराकी शिक्षक) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में तैराकी शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तैराकी शिक्षक भर्ती नियम, 2020 है।
2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

Desirable:

- (i) Membership of National and International Geographical Societies or Indian National Science Congress or Indian National Cartographic Association or similar type of organisations or associations.
- (ii) Research publication preferably on Cartography and allied disciplines as evidenced by publication in peer-reviewed journals.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note: The National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment Rules, 2019 were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 274 dated the 30th April, 2019.

[F. No. SM/01/20/2017]

ANITA DHADRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (उप निदेशक) भर्ती नियम, 1989 में उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (उप निदेशक) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक	8 (आठ)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु. 67700-208700)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

(11)

प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 में ऐसे अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में दो सप्ताह का अग्रिम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो/ आंतरिक प्रशिक्षण पूरा किया हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 या उसके समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-**आवश्यक :**

- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूर संवेदी या जियोमेटिक्स या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।
- (ii) कार्यकारी या संकाय के पद में भूगोल या भू-विज्ञान या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में सात वर्ष का कार्यकारी या अनुसंधान में अनुभव।

वांछनीय :

- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना विज्ञान या भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूर संवेदी या जियोमेटिक्स या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट की डिग्री।
- (ii) भौगोलिक या मानचित्रकारी अध्यापन या अनुसंधान जिसमें विभिन्न विषयों पर डाटा संग्रहण और मानचित्रों का बनाना शामिल है, में तीन साल का अनुभव।

टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के माध्यम से नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा।
(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष	
(2) सम्बद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	
(3) सम्बद्ध निदेशक या उप - सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	
(4) निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य	

[फा.सं. एसएम/01/11/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 2020

G.S.R. 217 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Deputy Director) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following

rules regulating the method of recruitment to the said post of Deputy Director in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Deputy Director) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director.	8* (eight) (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 11 (Rs.67, 700- 2,08,700).	Selection post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent by Promotion failing which by Deputation (including Short Term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Research Officer in Level-10 of the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks of Advance training in geospatial technology from any recognised Institute/in-house training.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union territories administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised Research Institutions.</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years regular service in Level 10 in the pay matrix or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Masters degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or GIS and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University.</p> <p>(ii) seven years working or research experience in the field of Geography or Geology or Geo-Spatial technologies in executive or faculty position.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Doctorate in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or GIS and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University.</p> <p>(ii) three years experience in Geographical or Cartographical teaching or research involving collection of data and preparation of maps on various themes.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Secretary, Department of Science and Technology. -Chairman</p> <p>(2) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology. - Member</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology. - Member</p> <p>(4) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation. - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making recruitment through Deputation (including Short Term Contract).</p>

<p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications</p>		
---	--	--

[F. No. SM/01/11/2017]

ANITA DHADRA, Under Secy.